

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1140]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 30, 2015/ज्येष्ठ 9, 1937

No. 1140]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 30, 2015/JYAISTHA 9, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2015

का.आ.1440अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का 21) की धारा 1 की उपधारा(2) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए 29 मई, 2015 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 1 से धारा 12 और धारा 15 से धारा 23 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 1/6/2015 सीएल-V] अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2015

S.O. 1440(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2015 (21 of 2015), the Central Government hereby appoints the 29th May, 2015 as the date on which the provisions of sections 1 to 12 and 15 to 23 of the said Act shall come into force.

[F. No. 1/6/2015-CL. V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.